अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 25/14

श्रीमती जीतकौर उर्फ सरजीतकौर पत्नी स्व. रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पी एस तहसील रायसिंहनगरा जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान
2. कमलदीपसिंह
3. अजयदीपसिंह पिसरान बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11–04–14 तहसीलदार, रायसिंहनगर

उपस्थित : 1.कुलविन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.दबलवारसिंह बराड़, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2 व 3
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

आदेश दिनांक : 06–1–2016

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपींलाटा सुखविन्द्रसिंह की माता हकीकी व प्रथम श्रेणी की वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के लिए न तो नोटिस जारी किया और न ही कोई जॉच की क्योंकि वह प्रभावित पक्षकार थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल नियमों की पालना नहीं की है। मिलीभगत कर वसीयत नोटेरी से तस्दीक करवाई गई है। वास्तव में सुखविन्द्रसिंह ने कोई वसीयत रेस्पो0 सं0 2व 3 के पक्ष में नहीं की है तथा न ही गुजारे के लिए मिली भूमि की वसीयत करने के लिए वह अधिकारी है। केवल भूमि हड़पने के लिए फर्जी वसीयत की गई है। सुखविन्द्रसिंह को अपनी माता के होते हुए रेस्पो0 सं0 2 व 3 के पक्ष में वसीयत करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 व 3 ने संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया तथा निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर मामला प्रतिप्रेषित कर राजीनामा के अनुसार 2 बीघा का इन्तकाल रेस्पो0 2 व 3 के नाम से बहिस्सा बराबर व 2 बीघा का सरजीतसिंह पुत्र रेशमसिंह के नाम से मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 4 करने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांटा ने शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांटा की शिनाख्त सरजीतसिंह पुत्र रेशमसिंह द्वारा की गई है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A5
2

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दोनों पक्षों ने राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने के लिए निवेदन किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–4–14 वसीयत के आधार पर पारित किया गया है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाई गई है तथा किसी की आपति प्राप्त न होने पर, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूँकि अपीलांटा ने अपील में कहा है कि वह आवश्यक पक्षकार थी, उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बारे में अपीलांटा को जानकारी नहीं हुई है । अतः बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि हुई है। अतः सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलाटां आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–04–14 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रस्तुत राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–1–16 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 06–01–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 6/1/16

Scanned by CamScanner